छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/1079/R-2803/पंग्रविवि/22-1/2020 दिनांक- 10-03-2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
   छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत– छत्तीसगढ़

विषय :– **पंद्रहवें वित्त आयोग अन्तर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत विकास योजना निर्माण बाबत।**

संदर्भ :– **छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का पत्र क्रमांक/15वें वित्त/1143/पंग्राविवि/2020 दिनांक 03.02.2021**

——00——

उक्त संदर्भित पत्र द्वारा जारी पंद्रहवें वित्त आयोग अन्तर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत विकास योजना निर्माण को निरस्त कर पुनः जारी किया जा रहा है। पंद्रहवें वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि वितरण का अनुपात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के मध्य 75 : 15 : 10 बैंड के अनुरूप प्रावधानित है। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा विकास योजना बनाकर व्यय किया जा सकता है। जिला व जनपद पंचायत की विकास योजना बनाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :–

1/ जनपद पंचायत विकास योजना का अनुमोदन सामान्य सभा में किया जायेगा।

जनपद पंचायत की कार्ययोजना :–

1- सामान्य सभा कार्ययोजना के लिए कम से कम चार विषयों की प्राथमिकता निर्धारित करेगी जिसे कार्ययोजना में प्रमुखता से लिया जायेगा।

2- सामान्य सभा में कार्ययोजना निर्माण समिति द्वारा बनाये गये संकलित कार्ययोजना को स्वीकृत किया जायेगा।

3- जनपद पंचायत विकास योजना के निर्माण, अपलोड करने एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फेसिलिटेटर होंगे।

4- सामान्य सभा द्वारा तय विषयों पर कार्ययोजना बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया जायेगा, जो अपने विषय से संबंधित कार्ययोजना बनायेगी। वर्किंग ग्रुप में निम्नानुसार सदस्य रखा जा सकता है :–

- सबंधित विषय के जनपद स्तर के दो अधिकारी

15

- संबंधित विषय के दो विषय विशेषज्ञ
- संबंधित विषय की समिति के सभापति/सदस्य
- संबंधित विषय पर कार्यरत एक एनजीओ
- दो सक्रिय स्वसहायता समूह के अध्यक्ष
- आजिविका मिशन (एनआरएलएम) के एक विकासखण्ड स्तर के अधिकारी
- संबंधित क्षेत्र में आने वाली शैक्षणिक संस्था (विश्वविद्यालय/विद्यालय) के सदस्य
- संबंधित विषय के जनपद स्तर के अधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे।

5- वर्किंग ग्रुप कार्ययोजना बनाकर पूर्व से गठित जनपद पंचायत की संबंधित समिति को प्रस्तुत करेगी, समिति के अनुमोदन पश्चात ही कार्ययोजना सामान्य सभा में रखा जायेगा। वर्किंग ग्रुप के कार्यों की मॉनिटरिंग उनसे समन्वय तथा समय–सीमा में कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेवारी ***"जनपद पंचायत योजना निर्माण समिति" की होगी जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे :–***

1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	**अध्यक्ष**
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	**सदस्य सचिव**
3	खंड चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
4	खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
5	अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग	सदस्य
6	पशु चिकित्सक, पशु पालन विभाग	सदस्य
7	बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
8	वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन विभाग	सदस्य
9	मंडल संयोजक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	सदस्य
10	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि/उद्यानिकी विभाग	सदस्य
11	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सदस्य
12	जनपद पंचायत की सामान्य सभा द्वारा नामांकित एक सदस्य	सदस्य
13	कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा	सदस्य
14	संयोजक, बिहान	सदस्य

(16)

6- अनुमोदित कार्ययोजना के क्रियान्वयन व निगरानी के लिए जनपद स्तर पर पृथक से समिति का गठन किया जाएगा। ***समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :–***

1	अध्यक्ष, जनपद पंचायत	**अध्यक्ष**
2	उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत	उपाध्यक्ष
3	सदस्य, जिला पंचायत (संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र से)	सदस्य
4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	**सदस्य सचिव**
5	05 सरपंच (संबंधित जनपद पंचायत क्षेत्र से) जनपद अध्यक्ष द्वारा सामान्य सभा में मनोनित	सदस्य
6	अध्यक्ष, जनपद पंचायत के स्थायी समिति	सदस्य
7	वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन विभाग	सदस्य
8	एन.आर.एल.एम. के प्रतिनिधि	सदस्य
9	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि/उद्यानिकी विभाग	सदस्य
10	ब्लाक के लीड बैंक प्रबंधक	सदस्य
11	एक स्वच्छता विशेषज्ञ	सदस्य
12	अर्थशास्त्र का एक प्रोफेसर	सदस्य

7- निगरानी व मूल्यांकन समिति जो योजना के निर्माण के लिए ***"जनपद पंचायत योजना निर्माण समिति"*** को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे योजना स्वीकृति के उपरांत समय–समय पर रिपोर्ट सामान्य सभा को प्रस्तुत करेगी।

8- योजना बनाने का मुख्य आधार मिशन अन्त्योदय सर्वे तथा ग्राम एवं जनपद पंचायत का प्रस्ताव होगा। जनपद पंचायत विकास योजना में दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतो को लाभ मिलने वाले कार्यों को प्राथमिकता से लिया जायेगा।

9- 05 वर्ष की कार्ययोजना तैयार किया जाना चाहिए– वार्षिक कार्ययोजना उसका एक भाग होगा।

10- अनुमोदित जनपद विकास योजना में लिए गये कार्यों पर ही राशि का व्यय E-Gram Swaraj Portal से PFMS प्रणाली का उपयोग कर DSC के माध्यम से किया जाएगा।

11- कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति E-Gram Swaraj Mobile App के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है।

12- जनपद विकास योजना अन्तर्गत लिए गये कार्यों को जनसूचना बोर्ड के माध्यम से जनपद कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा।

13- जनपद पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत लिए गये कार्यों का आडिट स्थानीय निधि संपरीक्षा (LFA) द्वारा शतप्रतिशत ऑनलाईन किया जायेगा।

14- किसी एक विषय पर 25 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय नहीं की जा सकेगी। कार्यों की एजेंसी संबंधित कार्यकारी विभाग होगा। प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति देने की प्रकिया राज्य शासन के इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार यथावत रहेगी।

(17)

15- जनपद पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में से कम से कम 20 प्रतिशत कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा।

16- पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को प्राप्त अनुदान राशि का 50% अनाबद्ध (Untied Grant) राशि है एवं शेष 50% आबद्ध (Tied Grant) राशि है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आबद्ध (Tied Grant) राशि का 50% स्वच्छता एवं 50% पेयजल पर व्यय किया जाना है।

2/ जिला पंचायत विकास योजना का अनुमोदन सामान्य सभा में किया जायेगा।

जिला पंचायत की कार्ययोजना :–

1- सामान्य सभा कार्ययोजना के लिए कम से कम चार विषयों की प्राथमिकता निर्धारित करेगी जिसे कार्ययोजना में प्रमुखता से लिया जायेगा। निर्णय सर्वसम्मति द्वारा बहुमत से किया जायेगा।

2- सामान्य सभा में र्ययोजना निर्माण समिति द्वारा बनाये गये संकलित कार्ययोजना को स्वीकृत किया जायेगा।

3- जिला पंचायत विकास योजना के निर्माण, अपलोड करने एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत फेसिलिटेटर होंगे।

4- सामान्य सभा द्वारा तय विषयों पर कार्ययोजना बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जो अपने विषय से संबंधत कार्ययोजना बनायेगी।

- सबंधित विषय के जिला स्तर के दो अधिकारी
- संबंधित विषय के दो विषय विशेषज्ञ
- संबंधित विषय की समिति के सभापति/सदस्य
- संबंधित विषय पर कार्यरत एक एनजीओ
- दो सक्रिय स्वसहायता समूह के अध्यक्ष
- आजिविका मिशन (एनआरएलएम) के एक जिला स्तर के अधिकारी
- संबंधित क्षेत्र में आने वाली शैक्षणिक संस्था (विश्वविद्यालय/विद्यालय) के सदस्य
- संबंधित विषय के जिला स्तर के अधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे।

5- वर्किंग ग्रुप कार्ययोजना बनाकर पूर्व से गठित जिला पंचायत की संबंधित समिति को प्रस्तुत करेगी, समिति के अनुमोदन पश्चात ही कार्ययोजना सामान्य सभा में रखा जायेगा। वर्किंग ग्रुप के कार्यों की मॉनिटरिंग उनसे समन्वय तथा समय–सीमा में कार्ययोजना तैयार करने की जिम्मेवारी ***"जिला पंचायत योजना निर्माण समिति" की होगी जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे :–***

1	जिला कलेक्टर	**अध्यक्ष**
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	**सदस्य सचिव**

(18)

3	वनमंडलाधिकारी	सदस्य
4	जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (DPSO)	सदस्य
5	जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
6	सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	सदस्य
7	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO)	सदस्य
8	जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
9	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग	सदस्य
10	उप संचालक, कृषि विभाग	सदस्य
11	उप संचालक, (पंचायत)	सदस्य
12	उप संचालक, पशु पालन विभाग	सदस्य
13	उप संचालक, मत्स्य पालन विभाग	सदस्य
14	समन्वयक, बिहान	सदस्य
15	सहायक परियोजना अधिकारी, मनरेगा	सदस्य
16	दो एन.जी.ओ	सदस्य

6- अनुमोदित कार्ययोजना के क्रियान्वयन व निगरानी के लिए जिला स्तर पर पृथक से समिति का गठन किया जाएगा। ***समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :–***

1	अध्यक्ष, जिला पंचायत	**अध्यक्ष**
2	उपाध्यक्ष, जिला पंचायत	उपाध्यक्ष
3	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	**सदस्य सचिव**
4	समस्त जनपद पंचायत अध्यक्ष (संबंधित जिला पंचायत क्षेत्र से)	सदस्य
5	सभापति, जिला पंचायत के स्थायी समिति	सदस्य
6	वनमंडलाधिकारी, वन विभाग	सदस्य
7	एन.आर.एल.एम. के प्रतिनिधि	सदस्य
8	उप संचालक, कृषि विभाग	सदस्य
9	जिला के लीड बैंक प्रबंधक	सदस्य
10	एक स्वच्छता विशेषज्ञ	सदस्य
11	अर्थशास्त्र का एक प्रोफेसर	सदस्य

7- निगरानी व मूल्यांकन समिति जो योजना के निर्माण के लिए ***"जिला पंचायत योजना निर्माण समिति"*** को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे योजना स्वीकृति के उपरांत समय–समय पर रिपोर्ट सामान्य सभा को प्रस्तुत करेगी।

8- योजना बनाने का मुख्य आधार मिशन अन्त्योदय सर्वे तथा ग्राम एवं जनपद पंचायत का प्रस्ताव होगा। जिला पंचायत विकास योजना में दो या दो से अधिक जनपद पंचायतो को लाभ मिलने वाले कार्यों को प्राथमिकता से लिया जायेगा।

9- 05 वर्ष की कार्ययोजना तैयार किया जाना चाहिए– वार्षिक कार्ययोजना उसका एक भाग होगा।

10- अनुमोदित जिला पंचायत विकास योजना में लिए गये कार्यों पर ही राशि का व्यय E-Gram Swaraj Portal से PFMS प्रणाली का उपयोग कर DSC के माध्यम से किया जाएगा।

11- कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति E-Gram Swaraj Mobile App के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है।

12- जिला पंचायत विकास योजना अन्तर्गत लिए गये कार्यों को जनसूचना बोर्ड के माध्यम से जिला पंचायत कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा।

13- जिला पंचायत पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत लिए गये कार्यों का आडिट स्थानीय निधि संपरीक्षा (LFA) शतप्रतिशत ऑनलाईन किया जायेगा।

14- किसी एक विषय पर 25 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय नहीं की जा सकेगी। कार्यों की एजेंसी संबंधित कार्यकारी विभाग होगा। प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति देने की प्रक्रिया राज्य शासन के इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार यथावत रहेगी।

15- जिला पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में से कम से कम 20 प्रतिशत कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा।

16- पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को प्राप्त अनुदान राशि का 50% अनाबद्ध (Untied Grant) राशि है एवं शेष 50% आबद्ध (Tied Grant) राशि है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आबद्ध (Tied Grant) राशि का 50% स्वच्छता एवं 50% पेयजल पर व्यय किया जाना है।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त जिला व जनपद पंचायत की कार्ययोजना बनाने के लिए भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी रूपरेखा पुस्तिका संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

8/3/21

(प्रसन्ना आर.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र./ 1080/R-2803/पज्ञ्ंविवि/22-1/2020 दिनांक- 10/03/2021

प्रतिलिपि :–

1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।

2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।

3- मिशन संचालक, जल जीवन मिशन एवं अध्यक्ष समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।

4- मिशन संचालक, राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

5- समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

6- समस्त उपसंचालक, पंचायत, जिला कार्यालय, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/15वें वित्त/1143/पंग्राविवि/2020/42 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 03-02-2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
   छत्तीसगढ़
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत– छत्तीसगढ़

विषय :– पंदहवें वित्त आयोग अन्तर्गत जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत विकास योजना निर्माण बाबत।

संदर्भ :– पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी रूपरेखा।

—00—

पंदहवें वित्त आयोग अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि वितरण का अनुपात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के मध्य 75 : 15 : 10 बैंड के अनुरूप प्रावधानित है। जिसका उपयोग ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत द्वारा विकास योजना बनाकर व्यय किया जा सकता है। जिला व जनपद पंचायत की विकास योजना बनाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :–

1/ जनपद पंचायत विकास योजना का अनुमोदन सामान्य सभा में किया जायेगा।

जनपद पंचायत की कार्ययोजना :–

1- सामान्य सभा कार्ययोजना के लिए कम से कम चार विषयों की प्राथमिकता निर्धारित करेगी जिसे कार्ययोजना में प्रमुखता से लिया जायेगा।

2- सामान्य सभा में वर्किंग ग्रुप द्वारा बनाये गये संकलित कार्ययोजना को स्वीकृत किया जायेगा।

3- जनपद पंचायत विकास योजना के निर्माण, अपलोड करने एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत फेसिलिटेटर होंगे।

4- सामान्य सभा द्वारा तय विषयों पर कार्ययोजना बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया जायेगा, जो अपने विषय से संबंधित कार्ययोजना बनायेगी। वर्किंग ग्रुप में निम्नानुसार सदस्य रखा जा सकता है :–

- सबंधित विषय के जनपद स्तर के दो अधिकारी
- संबंधित विषय के दो विषय विशेषज्ञ
- संबंधित विषय की समिति के सभापति/सदस्य
- संबंधित विषय पर कार्यरत एक एनजीओ

- दो सक्रिय स्वसहायता समूह के अध्यक्ष
- आजिविका मिशन (एनआरएलएम) के एक विकासखण्ड स्तर के अधिकारी
- संबंधित क्षेत्र में आने वाली शैक्षणिक संस्था (विश्वविद्यालय/विद्यालय) के सदस्य
- संबंधित विषय के जनपद स्तर के अधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे।

5- वर्किंग ग्रुप कार्ययोजना बनाकर पूर्ण से गठित जनपद पंचायत की संबंधित समिति को प्रस्तुत करेगी, समिति के अनुमोदन पश्चात ही कार्ययोजना सामान्य सभा में रखा जायेगा।

6- अनुमोदित कार्ययोजना के निर्माण, क्रियान्वयन व निगरानी के लिए जनपद स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। *समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :–*

1	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	अध्यक्ष
2	जनपद पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
3	उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत	सदस्य
4	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	सदस्य सचिव
5	जनपद पंचायत के सभी समिति के सभापति	सदस्य
6	खंड चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
7	खंड शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
8	अनुविभागीय अधिकारी, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग	सदस्य
9	पशु चिकित्सक, पशु पालन विभाग	सदस्य
10	बाल विकास परियोजना अधिकारी (सी.डी.पी.ओ.) महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
11	वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन विभाग	सदस्य
12	मंडल संयोजक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	सदस्य
13	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, कृषि/उद्यानिकी विभाग	सदस्य
14	अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	सदस्य
15	जनपद पंचायत की सामान्य सभा द्वारा नामांकित एक सदस्य	सदस्य
16	कार्यक्रम अधिकारी, मनरेगा	सदस्य
17	संयोजक, बिहान	सदस्य

7- निगरानी व मूल्यांकन समिति जो योजना के निर्माण के लिए वर्किंग ग्रुप के कियान्वयन की समीक्षा करेगी तथा कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उनके मध्य समन्वय करेगी तथा योजना स्वीकृति के उपरांत समय–समय पर रिर्पोट सामान्य सभा को प्रस्तुत करेगी।

Scanned with CamScanner

8- योजना बनाने का मुख्य आधार मिशन अन्त्योदय सर्वे तथा ग्राम एवं जनपद पंचायत का परताव होगा। जनपद पंचायत विकास योजना में दो या दो से अधिक ग्राम पंचायतो को लाभ मिलने वाले कार्यों को प्राथमिकता से लिया जायेगा।

9- 05 वर्ष की कार्ययोजना तैयार किया जाना चाहिए– वार्षिक कार्ययोजना उसका एक भाग होगा।

10- अनुमोदित जनपद विकास योजना में लिए गये कार्यों पर ही राशि का व्यय E-Gram Swaraj Portal से PFMS प्रणाली का उपयोग कर DSC के माध्यम से किया जाएगा।

11- कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति E-Gram Swaraj Mobile App के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है।

12- जनपद विकास योजना अन्तर्गत लिए गये कार्यों को जनसूचना बोर्ड के माध्यम से जनपद कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा।

13- जनपद पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत लिए गये कार्यों का आडिट स्थानीय निधि संपरीक्षा (LFA) द्वारा शतप्रतिशत ऑनलाईन किया जायेगा।

14- किसी एक विषय पर 25 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय नहीं की जा सकेगी। कार्यो की एजेंसी संबंधित कार्यकारी विभाग होगा। प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति देने की प्रकिया राज्य शासन के इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार यथावत रहेगी।

15- जनपद पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में से कम से कम 20 प्रतिशत कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा।

16- पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को प्राप्त अनुदान राशि का 50% अनाबद्ध (Untied Grant) राशि है एवं शेष 50% आबद्ध (Tied Grant) राशि है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आबद्ध (Tied Grant) राशि का 50% स्वच्छता एवं 50% पेयजल पर व्यय किया जाना है।

2/ जिला पंचायत विकास योजना का अनुमोदन सामान्य सभा में किया जायेगा।

जिला पंचायत की कार्ययोजना :–

1- सामान्य सभा कार्ययोजना के लिए कम से कम चार विषयों की प्राथमिकता निर्धारित करेगी जिसे कार्ययोजना में प्रमुखता से लिया जायेगा। निर्णय सर्वसम्मति द्वारा बहुमत से किया जायेगा।

2- सामान्य सभा में वर्किंग ग्रुप द्वारा बनाये गये संकलित कार्ययोजना को स्वीकृत किया जायेगा।

3- जिला पंचायत विकास योजना के निर्माण, अपलोड करने एवं अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत फेसिलिटेटर होंगे।

Scanned with CamScanner

4- सामान्य सभा द्वारा तय विषयों पर कार्ययोजना बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा, जो अपने विषय से संबंधत कार्ययोजना बनायेगी।

- सबंधित विषय के जिला स्तर के दो अधिकारी
- संबंधित विषय के दो विषय विशेषज्ञ
- संबंधित विषय की समिति के सभापति/सदस्य
- संबंधित विषय पर कार्यरत एक एनजीओ
- दो सक्रिय स्वसहायता समूह के अध्यक्ष
- आजिविका मिशन (एनआरएलएम) के एक जिला स्तर के अधिकारी
- संबंधित क्षेत्र में आने वाली शैक्षणिक संस्था (विश्वविद्यालय/विद्यालय) के सदस्य
- संबंधित विषय के जिला स्तर के अधिकारी समिति के अध्यक्ष होंगे।

5- वर्किंग ग्रुप कार्ययोजना बनाकर पूर्व से गठित जिला पंचायत की संबंधित समिति को प्रस्तुत करेगी, समिति के अनुमोदन पश्चात ही कार्ययोजना सामान्य सभा में रखा जायेगा।

6- अनुमोदित कार्ययोजना के निर्माण, क्रियान्वयन व निगरानी के लिए जिला स्तर पर समिति का गठन किया जाएगा। ***समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे :—***

1	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य सचिव
3	वनमंडलाधिकारी	सदस्य
4	जिला पंचायत अध्यक्ष	सदस्य
5	जिला पंचायत उपाध्यक्ष	सदस्य
6	जिला पंचायत के सभी समिति के सभापति	सदस्य
7	जिला योजना एवं साख्यिकी अधिकारी (DPSO)	सदस्य
8	जिला कार्यकम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
9	सहायक आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग	सदस्य
10	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO)	सदस्य
11	जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग	सदस्य
12	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग	सदस्य
13	उप संचालक, कृषि विभाग	सदस्य
14	उप संचालक, (पंचायत)	सदस्य
15	उप संचालक, पशु पालन विभाग	सदस्य
16	उप संचालक, मत्स्य पालन विभाग	सदस्य
17	समन्वयक, विहान	सदस्य
18	सहायक परियोजना अधिकारी, मनरेगा	सदस्य
19	दो एन.जी.ओ	सदस्य

Scanned with CamScanner

7- निगरानी व मूल्यांकन समिति जो योजना के निर्माण के लिए वर्किंग ग्रुप के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी तथा कार्यों का पर्यवेक्षण एवं उसके पश्चात सामान्य करेगी तथा योजना स्वीकृति के उपरांत समय-समय पर रिपोर्ट सामान्य सभा को प्रस्तुत करेगी।

8- योजना बनाने का मुख्य आधार मिशन अन्त्योदय सर्वे तथा ग्राम एवं जनपद पंचायत का प्रस्ताव होगा। जिला पंचायत विकास योजना में दो या दो से अधिक जनपद पंचायतो को लाभ मिलने वाले कार्यों को प्राथमिकता से लिया जायेगा।

9- 05 वर्ष की कार्ययोजना तैयार किया जाना चाहिए- वार्षिक कार्ययोजना उसका एक भाग होगा।

10- अनुमोदित जिला पंचायत विकास योजना में लिए गये कार्यों पर ही राशि का व्यय E-Gram Swaraj Portal से PFMS प्रणाली का उपयोग कर DSC के माध्यम से किया जाएगा।

11- कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति E-Gram Swaraj Mobile App के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है।

12- जिला पंचायत विकास योजना अन्तर्गत लिए गये कार्यों को जनसूचना बोर्ड के माध्यम से जिला पंचायत कार्यालय में प्रदर्शित किया जायेगा।

13- जिला पंचायत पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत लिए गये कार्यों का आडिट स्थानीय निधि संपरीक्षा (LFA) शतप्रतिशत ऑनलाईन किया जायेगा।

14- किसी एक विषय पर 25 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय नहीं की जा सकेगी। कार्यों की एजेंसी संबंधित कार्यकारी विभाग होगा। प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति देने की प्रकिया राज्य शासन से इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुसार यथावत रहेगी।

15- जिला पंचायत विकास योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में से कम से कम 20 प्रतिशत कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा।

16- पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को प्राप्त अनुदान राशि का 50% अनाबद्ध (Untied Grant) राशि है एवं शेष 50% आबद्ध (Tied Grant) राशि है। पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आबद्ध (Tied Grant) राशि का 50% स्वच्छता एवं 50% पेयजल पर व्यय किया जाना है।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त जिला व जनपद पंचायत की कार्ययोजना बनाने के लिए भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी रूपरेखा पुस्तिका एवं जिला व जनपद पंचायत विकास योजना निर्माण के लिए अनुमानित समय-सीमा संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार।

3/2/21

(प्रसन्ना आर.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(25)

//6//

पृ.क्र./15वें वित्त/1143/पंग्राविवि/2020/463 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 03-02-2021

प्रतिलिपि :–

1- विशेष सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।

2- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन की ओर सूचनार्थ।

3- मिशन संचालक, जल जीवन मिशन एवं अध्यक्ष समिति, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ।

4- मिशन संचालक, राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नीर भवन, सिविल लाईन्स, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

5- समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

6- समस्त उपसंचालक, पंचायत, जिला कार्यालय, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

7- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग